

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल
jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11359/2564

दिनांक :- 21.01.19

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती/सुश्री सुनीता बाई मीणा [लिंक न. 11359] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर - [16223] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 14/08/2018 से 26/08/2018 तक 13 दिवस

उक्त कुल 13 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती/सुश्री सुनीता बाई मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(नकुन्द सोहोनी)

निदेशक

दिनांक :- 21.01.19

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11359/2564

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री/श्रीमती/सुश्री सुनीता बाई मीणा [11359] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिका)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)